उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001
दूरभाषः पी0बी0एक्स0–2622363, 2627111
फैक्स–0522–2615526, 2628841, 2623578

पत्रांक–1252रोपी/19–185जन/ढाबा/2005 दिनॉक 17 अक्टूबर, 2019

1– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय–निगम द्वारा अधिकृत किये गये ढाबों पर बसों को न रोका जाना एवं चालक/परिचालक द्वारा ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थो का प्रयोग न किये जाने हेतु श्वांस परीक्षण ब्रीथ एनॅलाइजर के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखने में आता है कि कुछ चालकों/परिचालकों द्वारा निगम बसों को मार्ग पर अनाधिकृत ढाबों में खड़ा करके मादक पदार्थो का सेवन किया जाता है। इससे एक तरफ तो दुर्घटनाओं की सम्भावना निरन्तर बनी रहती है तथा इससे निगम की छवि धूमिल होती है। इस संबंध में कार्यालय पत्र संख्या–757रोपी/06–198जन–06, दिनॉक–14.11.2006 के द्वारा पूर्व में आदेश दिये गये थे कि परिवहन निगम की बसों को केवल अधिकृत किये गये फैसेलिटी सेन्टर/ढाबों पर ही रोका जाये। इस परिपत्र में यह भी निर्देश दिये गये थे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक आदि बसों के निरीक्षण से सम्बन्धित अधिकारी/उपाधिकारी मार्ग पर बसों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि अनाधिकृत ढाबों पर बसें न खड़ी हो एवं पूर्व व्यवस्थानुसार रू0 1,000/– चालक/परिचालक दोनों पर पृथक–पृथक रूप से दण्ड रोपित किया जाये। पत्र संख्या–322रोपी/07–198जन/06, दिनॉक–02.07.2007 एवं पत्र संख्या–1341रोपी/10–185 जन/ढाबा/2005, दिनॉक–27.11.2019 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये थेः–

1– मार्गो पर बने अनाधिकृत ढाबों पर बसें न रूके, के निमित्त सघन चेकिंग करायी जाये तथा यह नियमित चेकिंग का भी अंग हो।

2– ऐसे चालक/परिचालक जो अनाधिकृत ढाबो में बस को खड़ी करते पाये जायें, उनके ऊपर प्रथम प्रकरण पाये जाने पर प्रत्येक प्रकरण में दो हजार रूपये का दण्ड रोपित कर कार्यवाही की जाये।

3– किसी भी चालक/परिचालक का द्वितीय प्रकरण होने पर निम्नवत् कार्यवाही की जायेः–

(अ) यदि चालक/परिचालक नियमित है तो निलम्बित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं रिपोर्ट की वीडियो–रिकार्डिग भी कराना सुनिश्चित करें।

(ब) यदि संविदा कार्मिक है तो उसकी संविदा समाप्त की जाये।

4– चेकिंग से संबंधित अधिकारी/उपाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि बसें केवल परिवहन निगम द्वारा अधिकृत किये गये फैसिलिटी सेन्टर/ढाबा पर ही रूके, जिसकी नियमित रूप से चेकिंग विशेषकर रात्रि में चेकिंग कर यह सुनिश्चित करेगें कि इन फैसिलिटी सेन्टरों/ढाबों पर चालकों/परिचालकों द्वारा मादक पदार्थो का सेवन नहीं किया जा रहा है, साथ ही साथ गुणवत्ता एवं सफाई आदि की भी जॉच की जाये। स्थिति ठीक न पाये जाने पर संबंधित फैसेलिटी सेन्टर/ढाबा को नोटिस देते हुए अनुबंध में उल्लिखित शर्तो के अनुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही भी क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा की जाये।

5– जिस क्षेत्र/डिपो के अधीनस्थ अनाधिकृत ढाबे पर बसे खड़ी पाई जायेगी उस क्षेत्र के चेकिंग दल/डिपो चेकिंग दल को उत्तरदायी मानकर कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। यदि चेकिंग में बार–बार बसें अनाधिकृत ढाबो में खड़ी पाई जायेगी तो सम्बन्धित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट उच्च प्रबन्ध को प्रस्तुत की जायेगी।

6– मादक पदार्थो का सेवन किये हुए चालक के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित हो।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

<u>समसंख्यक/समदिनांकित–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/अ0प्र0नि0, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशा0/संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. समस्त सेवा प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0 (वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम।

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)